

1: संघीय वित्त 2014-15 का विहंगावलोकन

1.1 प्रस्तावना

संसद में प्रस्तुत किए गए संघ सरकार के वार्षिक लेखे जिसमें वित्त लेखे तथा विनियोग लेखे शामिल हैं। वित्त लेखे समेकित निधि, आकस्मिक निधि तथा लोक लेखे से प्राप्तियों तथा भुगतानों के विवरणों को दर्शाते हैं। विनियोग लेखे प्रत्येक अनुदान/विनियोग के अंतर्गत विधायिका द्वारा प्राधिकृत राशियों की तुलना में व्यय तथा परिणामतः आधिक्य/बचत के लिए स्पष्टीकरणों को दर्शाते हैं।

पेटिका 1.1: संघ सरकार निधियां एवं लोक लेखा

समेकित निधि	<ul style="list-style-type: none">संघ सरकार द्वारा प्राप्त किये गये समस्त राजस्व, राजकोषीय बिलों के निर्गम द्वारा उठाए गए समस्त ऋण, आंतरिक तथा बाह्य ऋण तथा ऋणों के पुनर्भुगतान के रूप में सरकार द्वारा प्राप्त समस्त धन मिलकर एक समेकित निधि निर्मित करते हैं जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 266(1) के अंतर्गत स्थापित की गई "भारत की समेकित निधि" कहा जाता है।
आकस्मिक निधि	<ul style="list-style-type: none">संविधान के अनुच्छेद 267(1) के अंतर्गत स्थापित भारत की आकस्मिकता निधि राष्ट्रपति के अधिकार में रखे गए एक अग्रदाय के रूप में है जो उन्हें, संसद से प्राधिकार प्राप्त हो जाने तक अतिआवश्यक अप्रत्याशित व्यय के लिए अग्रिम प्रदान करने का अधिकार देता है।इस प्रकार किये गये व्यय और समेकित निधि से इसके बराबर राशि के आहरण के लिए वैधानिक अनुमोदन बाद में प्राप्त किया जाता है। जिसके पश्चात आकस्मिकता निधि से आहरित अग्रिमों की प्रतिपूर्ति कर दी जाती है।
लोक लेखा	<ul style="list-style-type: none">समेकित निधि से संबंधित सरकार की सामान्य प्राप्तियों तथा व्ययों के अतिरिक्त सरकारी लेखाओं में कुछ ऐसे लेन-देन भी सम्मिलित होते हैं जिनके संबंध में सरकार अधिकतर बैंकर के रूप में कार्य करती है। भविष्य निधियों, लघु बचतों, अन्य जमाओं आदि से संबंधित लेन-देन इसके कुछ उदाहरण हैं।इस प्रकार प्राप्त लोक धन को संविधान के अनुच्छेद 266(2) के अंतर्गत स्थापित लोक लेखे में रखा जाता है तथा सम्बद्ध संवितरण इसी से किए जाते हैं।

1.1.1 वर्ष 2014-15 सकल घरेलू उत्पाद (स.घ.उ.)¹ वृद्धि से मापे गये आर्थिक विकास में सुधार के लिये उल्लेखनीय रहा जोकि 2013-14 में विकास दर के 6.9 प्रतिशत की तुलना में 7.3 प्रतिशत रही।

2012-13 में स.घ.उ. के 4.95 प्रतिशत तथा 2013-14 में 4.44 प्रतिशत 2014-15 में 4.11 प्रतिशत तक की गिरावट के साथ राजकोषीय घाटे के स्तर पर भी सुधार पाया गया था। 2014-15 के दौरान यह सुधार प्रमुख रूप से गैर ऋण प्राप्ति में पिछले वर्ष से 9.55 प्रतिशत की वृद्धि तथा वास्तविक व्यय में पिछले वर्ष की 10.73 प्रतिशत की वृद्धि से 7.56 प्रतिशत की कम वृद्धि हुआ है।

पिछले वर्ष की तुलना में 2014-15 के दौरान राजस्व व्यय में हुई ₹1,20,040 करोड़ (7.62 प्रतिशत) की वृद्धि के प्रति निवल राजस्व प्राप्ति में ₹1,11,115 करोड़ (9.12 प्रतिशत) की वृद्धि द्वारा पिछले वर्ष की तुलना में 2014-15 के दौरान संघ सरकार के राजस्व घाटे को ₹8,925 करोड़ से कम करने में मदद मिली हालांकि, उसी अवधि के दौरान ₹14,163 करोड़ की वृद्धि के कारण राजकोषीय घाटा पिछले वर्षों से ₹12,718 करोड़ पूंजीगत व्यय में अधिक हो गया। 2014-15 के दौरान लोक ऋण के रूप में सरकार द्वारा सकल उधार पिछले वर्ष की तुलना में ₹2,23,230 करोड़ अधिक था।

भारत की समेकित निधि (भा.स.नि.) में ₹5,451 करोड़ के घाटे एवं लोक लेखे में ₹72,393 करोड़ के अधिशेष के संयुक्त प्रभाव का परिणाम वित्तीय वर्ष 2014-15 की समाप्ति पर संघ सरकार के रोकड़ शेषों में ₹77,844 करोड़ की कमी में हुआ।

तालिका 1.1 वर्ष 2014-15 के लिए संघ सरकार की प्राप्तियों संवितरणों तथा उधारों की स्थिति का सारांश प्रस्तुत करती है।

¹ 29 मई, 2015 को सी.एस.ओ. द्वारा जारी प्रेस नोट के अनुसार, स्थिर मूल्यों (2011-12) पर स.घ.उ. के आकलनों में पिछले वर्ष से 7.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि वर्तमान मूल्यों पर, यह वृद्धि 10.5 प्रतिशत तक बढ़ी।

तालिका 1.1: चालू वर्ष (2014-15) के लेन-देन का सार

(₹ करोड़ में)

प्राप्तियां	व्युत्पन्न मापदण्ड	संवितरण
भारत की समेकित निधि (भा.स.नि.)		
राजस्व प्राप्तियां*	1328909 (1217794)	राजस्व घाटा 366228 (357303)
विविध पूंजीगत प्राप्तियां	37740 (29368)	पूंजीगत व्यय
कर्जों की वसूली	26547 (24549)	ऋण तथा अग्रिम
कुल गैर ऋण प्राप्तियां	1393196 (1271711)	राजकोषीय घाटा 515948 (503230)
लोक ऋण	4218196 (3994966)	वास्तविक व्यय
भा.स.नि. में कुल प्राप्तियां	5611392 (5266677)	लोक ऋण
		भा.स.नि. से कुल व्यय
		5616843 (5286232)
आकस्मिकता निधि		
प्राप्तियां	0	विनियोग
		0
लोक लेखा		
लघु बचतें	499555 (407541)	लघु बचतें
आरक्षित एवं निक्षेप निधि	147041 (127520)	आरक्षित एवं निक्षेप निधि
जमा	131184 (113712)	जमा
अग्रिम	42238 (37895)	अग्रिम
उचन्त लेख	28484 (2744)	उचन्त लेखे
प्रेषण	2004 (3548)	प्रेषण
कुल लोक लेखे	850506 (692960)	कुल लोक लेखे
		922899 (654238)
आरंभिक रोकड़ शेष	87618 (68451)	लोक लेखा में घाटा 72393 (38722 अधिशेष)
		नकद रोकड़ शेष में कमी 77844 (19167 वृद्धि)
		रोकड़ अंत शेष
		9774 (87618)
लोक लेखा घाटा (मांग)		रोकड़ शेष में कमी(-) भा.स.नि. में घाटा
वार्षिक देयताएं (आपूर्ति)		537445
वार्षिक देयताएं (मांग)		537445
		(ऋण+लघुबचत+आ.नि.+जमा) का अधिशेष
		राजकोषीय घाटा (-) रोकड़ में कमी (+) (अग्रिम+ उचन्त+ प्रेषण) का निवल संवितरण

*राज्य को सौंपे गये करों एवं शुल्कों के आंकड़े शामिल नहीं हैं (2014-15 के लिए ₹3,37,808 करोड़ तथा 2013-14 के लिए ₹ 3,18,230 करोड़,

नोट: (1) कोष्ठक में आंकड़े वर्ष 2013-14 हेतु समान आंकड़ों को दर्शाते हैं।

(2) 2014-15 के लिए राजस्व प्राप्तियां एवं राजस्व व्यय ₹5,332 करोड़ से कम हैं क्योंकि करों की वापसी पर ब्याज पर हुए व्यय को नुटिवश व्यय के बजाय 'राजस्व में कटौती' के रूप में दर्शाया गया था। विवरण के लिए कृपया इस प्रतिवेदन के पैरा 4.2 का संदर्भ लें।

1.2 संसाधनों का सृजन

राजस्व तथा पूंजीगत, प्राप्तियों के दो स्रोत हैं जो संघ सरकार के संसाधन निर्मित करते हैं। कर राजस्व, गैर-कर राजस्व तथा कुछ बाह्य एजेंसियों से सहायता अनुदान को मिलाकर राजस्व प्राप्तियां बनती हैं। पूंजीगत प्राप्तियों के दो संघटक हैं-ऋण प्राप्तियां जो भविष्य में पुनर्भुगतान बाध्यताओं को सृजित करती है तथा गैर-ऋण प्राप्तियां जिनमें विनिवेश तथा कर्जों एवं अग्रिमों की वसूलियों से प्राप्तियां शामिल है जिससे वास्तविक अथवा संभावित परिसंपत्तियों में कटौती होती हैं।

जैसा कि तालिका 1.2 से देखा जा सकता है कि स.घ.उ. की तुलना में सकल प्राप्तियों के अनुपात में पिछले चार वर्षों में स्थिर गिरावट दर्शाई है तथा यह अनुपात 2014-15 के दौरान स.घ.उ. के 54.20 प्रतिशत पर रहा। वर्ष 2014-15 में 8.51 प्रतिशत सकल राजस्व प्राप्तियों में की तुलना में 2013-14 में केवल 14 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। परन्तु, सकल प्राप्तियों में पिछले वर्ष की तुलना में 2014-15 के दौरान 8.28 प्रतिशत की वृद्धि हुई। सकल प्राप्त की तुलना में सकल ऋण प्राप्ति 2014-15 हेतु 62.05 प्रतिशत रही जो 2013-14 में 63.64 प्रतिशत थी यद्यपि, ऋण प्राप्तियों से सकल प्राप्तियों का अंश कम हो रहा है, जोकि काफी अधिक है, जोकि बजट को संतुलित करने हेतु ऋण पर निरंतर निर्भरता का पता चलता है।

तालिका 1.2: संसाधन एवं स.घ.उ.


(₹ करोड़ में)

अवधि	सकल राजस्व प्राप्तियां* (1)	गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियां (2)	सकल ऋण प्राप्तियां (3)	लोक लेखे में सकल उपार्जन (4)	सकल प्राप्तियां (1+2+3 +4) (5)	वर्तमान मूल्यों पर स.घ.उ.@ (6)	सकल प्राप्तियां/स.घ.उ. (7)
2011-12	1165691 (20)	54906 (1)	4063177 (69)	620667 (11)	5904441	8832012	66.85
2012-13	1347438 (22)	52513 (1)	3968038 (66)	660784 (11)	6028773	9988540	60.36
2013-14	1536024 (24)	53917 (1)	3994966 (64)	692960 (11)	6277867	11345056	55.34
2014-15	1666717 (25)	64287 (1)	4218196 (62)	848686 (12)	6797886	12541208	54.20

*राज्यों को सौंपे गए करों तथा शुल्कों के आंकड़े (2014-15 के लिए, ₹3,37,808 करोड़) सम्मिलित हैं। 2014-15 में ₹13,28,909 करोड़ 2014-15 में केंद्र की निवल राजस्व प्राप्तियां हैं। जिसे तालिका 1.1 में दिखाया गया है।

नोट: (1) कोषटक में आंकड़े सकल प्राप्तियों की प्रतिशतता को दर्शाते हैं।

चार्ट 1.1: स.घ.उ. में की प्रतिशतता के रूप में सकल प्राप्तियां




1.2.1 राजस्व प्राप्तियां

राजस्व प्राप्तियां जिसमें कर एवं गैर-कर प्राप्तियां शामिल होती हैं, राजस्व की सबसे महत्वपूर्ण स्रोत हैं क्योंकि इन प्राप्तियों द्वारा किसी तरह की भविष्य देयताओं की बाध्यता उत्पन्न नहीं होती। राजस्व प्राप्तियों के विभिन्न घटकों की चर्चा आगामी पैरों में की गई है।

1.2.2 राजस्व प्राप्तियों के संघटक: बजट अनुमानों तथा वास्तविक आंकड़ों के बीच अंतर

यथार्थवादी बजटीय अनुमानों का निरूपण व्यय नियंत्रण तथा रोकड़ एवं ऋण प्रबन्धन हेतु महत्वपूर्ण है। चार्ट 1.2 दर्शाता है कि बजट अनुमान (ब.अ) से वास्तविक कर राजस्व प्राप्तियां कम थी। सेवा कर (22.23 प्रतिशत) तथा उत्पाद शुल्क (8.39 प्रतिशत) के मामलों में प्रमुख गिरावट सूचित की गई थी। गैर-कर राजस्व क्षेत्र में, ब्याज प्राप्तियों से बजट अनुमान अधिक थे (10.18 प्रतिशत)।

चार्ट 1.2 बजट अनुमानों की तुलना में वास्तविक मुख्य राजस्व संघटक: 2014-15



1.2.3 कर राजस्व

2013-15 से स.घ.उ. की वृद्धि सकल करों की वृद्धि से कम रही थी हालांकि, कर राजस्व क्षेत्र के संघटकों की वृद्धि के कारणवश सकल कर राजस्व में 9.32 प्रतिशत की कुल वृद्धि हुई थी (तालिका 1.3)।

तालिका 1.3: कर राजस्व के घटक (सकल)

(₹ करोड़ में)

अवधि	कुल सकल कर राजस्व#	निगम कर	आय कर	सीमा शुल्क	उत्पाद शुल्क	सेवा कर	अन्य *	स.घ.उ. वर्तमान मूल्य पर
2011-12	889118	322816	164525	149328	144901	97509	10039	8832012
2012-13	1036461	356326	196844	165346	175845	132601	9499	9988540
2013-14	1138996	394678	237870	172085	169455	154780	10128	11345056
2014-15	1245136	428925	258374	188016	189038	167969	12814	12541208
वृद्धि की वार्षिक दर (प्रतिशत)								
2011-12	12.08	8.08	18.28	9.95	5.23	37.31	(-) 8.64	@
2012-13	16.57	10.38	19.64	10.73	21.36	35.99	(-)5.38	13.09
2013-14	9.89	10.76	20.84	4.08	(-)3.63	16.73	6.62	13.58
2014-15	9.32	8.68	8.62	9.26	11.56	8.52	26.52	10.54

राज्यों/सं.शा.क्षे.को दिए गए करों/शुल्कों के आंकड़े शामिल हैं।

* अन्य करों में होटल प्राप्ति कर, ब्याज कर, संपत्ति कर, उपहारकर, अनुषंगी लाभ कर, प्रतिभूति लेन-देन कर, बैंकिंग रोकड़ लेन-देन कर आदि शामिल हैं।


@ स.घ.उ. से 2011-12 के आधार वर्ष में परिवर्तन के कारण आंकड़े उपलब्ध नहीं।

आयकर एवं सेवाकर की वृद्धि 2013-14 में 20.84 प्रतिशत और 16.73 प्रतिशत से वर्तमान वर्ष में क्रमशः 8.62 प्रतिशत एवं 8.52 प्रतिशत तक कम हुआ था।

उत्पाद शुल्क की वृद्धि की दर 2013-14 में नकारात्मक (-3.63 प्रतिशत) थी परंतु 2014-15 में 11.56 प्रतिशत तक बढ़ी थी।

2013-14 तथा 2014-15 (चार्ट 1.3) के दौरान कर राजस्वों के घटकों के सापेक्ष योगदानों की तुलना, सेवा कर (एक प्रतिशत) के अंशों में आंशिक वृद्धि तथा निगम कर (एक प्रतिशत) के हिस्सों में गिरावट को दर्शाती है। कर राजस्व के शेष संघटकों के अंश वही थे।

चार्ट 1.3: कर राजस्व के घटक



1.2.4 गैर-कर राजस्व

2014-15 में, गैर-कर राजस्व का सबसे बड़ा अंश (57.76 प्रतिशत) विभिन्न विभागों जो आम जनता को आर्थिक सेवाएं प्रदान करते हैं (तालिका 1.4) द्वारा लगाए गए उपभोक्ता प्रभारों से आया है। ब्याज प्राप्तियां गैर कर राजस्व का 11.39 प्रतिशत रही जबकि लाभांश तथा लाभ का योगदान लगभग 21.32 प्रतिशत रहा (पिछले वर्ष से 1.46 प्रतिशत कम)। गैर-कर राजस्व की वार्षिक वृद्धि दर 2013-14 में 27.67 प्रतिशत से घटकर 2014-15 में 6.18 प्रतिशत हो गयी। यह मुख्यतः लाभांश एवं लाभ से प्राप्तियों (2013-14 में 68.23 प्रतिशत से 2014-15 में -0.64 प्रतिशत) में महत्वपूर्ण कमी आर्थिक सेवाओं (2013-14 में 23.29 प्रतिशत से 2014-15 में 6.96 प्रतिशत) की प्राप्तियों में तुलना में कमी के कारण थी।

सामाजिक सेवाओं से प्राप्तियों ने सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण उपायों से ₹3,594 करोड़ की एक बार की बड़ी प्राप्ति के कारण 2011-12 की तुलना में 2012-13 के दौरान 387.75 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई थी इसमें आगे ₹836.52 करोड़ के 'डी.टी.एच. परिचालकों से लाईसेंस शुल्क' के रूप में बड़ी प्राप्ति के कारण 2014-15 में 31.84 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाई थी। हालांकि, गैर-कर राजस्व प्राप्तियों की तुलना में सामाजिक प्राप्तियों के सापेक्ष अंश नगण्य रहा।

तालिका 1.4: गैर-कर राजस्व की संरचना (अंश एवं वृद्धि की प्रवृत्ति)

(₹ करोड़ में)

अवधि	कुल गैर कर राजस्व#	ब्याज प्राप्तियां	लाभ एवं लाभांश	सामाजिक सेवाएं	आर्थिक सेवाएं	शासकीय तथा अन्य कार्य**
2011-12	276573	40054	50609	988	158283	26639
सापेक्ष अंश (प्रतिशत)	100	14.84	18.30	0.36	57.23	9.63
2012-13	310977	38860	53762	4819	184662	28874
सापेक्ष अंश (प्रतिशत)	100	12.50	17.29	1.55	59.38	9.28
2013-14	397028	44027	90442	1316	227661	33582
सापेक्ष अंश (प्रतिशत)	100	11.09	22.78	0.33	57.34	8.46
2014-15	421582	48007	89861	1735	243512	38467
सापेक्ष अंश (प्रतिशत)	100	11.39	21.32	0.41	57.76	9.12
वृद्धि की औसत वार्षिक दर						
2011-12	(-)22.89	13.47	5.45	21.38	(-)36.24	1.20
2012-13	12.44	(-)2.98	6.23	387.75	16.67	8.39
2013-14	27.67	13.30	68.23	(-)72.69	23.29	16.31
2014-15	6.18	9.04	(-)0.64	31.84	6.96	14.55

अंतरराष्ट्रीय अभिकरणों द्वारा सहायता अनुदान एवं योगदान शामिल हैं।

सामाजिक सेवाएं: शिक्षा, स्वास्थ्य जल आपूर्ति, स्वच्छता तथा सामाजिक सुरक्षा आदि।

आर्थिक सेवा: डेयरी विकास, पशुपालन, मत्स्यपालन, वानिकी, वृक्षारोपण, खाद्य संचयन तथा भंडारण, कृषि एवं ग्रामीण विकास कार्यक्रम, सिंचाई हेतु उपभोक्ता, प्रभार, ऊर्जा का प्रावधान, सरकारी विभागीय प्रबंधित सरकारी उपक्रम की प्राप्तियां इत्यादि।

** राजकोषीय सेवाएं तथा सामान्य सेवाएं (पुलिस, लोक निर्माण कार्य, रक्षा, अन्य प्रशासनिक सेवाएं, सहायता-अनुदान तथा अंशदान आदि)

2011-12 से गैर-कर राजस्व का प्रमुख भाग आर्थिक सेवाओं पर प्राप्ति बनाता है। आर्थिक सेवाओं के अंतर्गत, वृद्धि के लिए मुख्य योजनाएं/कार्यक्रम/ क्रियाकलाप उत्तरदायी थे (i) भारतीय रेल (वाणिज्यिक लाइनें-मालभाड़ा प्राप्ति) 2013-14 में ₹93,788.29 करोड़ से 2014-15 में ₹1,05,661.21 करोड़ (12.66 प्रतिशत) तक बढ़ा, (ii) सड़कों एवं पुलों पर कर जोकि 2013-14 में ₹5,144.67 करोड़

से ₹5,927.13 (15.21 प्रतिशत) तक बढ़ा, (iii) 'अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं' जोकि 2013-14 में ₹3,368.47 करोड़ से 2014-15 में ₹4,773.93 करोड़ (41.72 प्रतिशत) तक बढ़ा (iv) अन्य सेवाएं एवं सेवा शुल्क (डाक प्राप्तियां) जोकि 2013-14 में ₹6,139.61 करोड़ से 2014-15 में ₹7,094.05 करोड़ (15.55 प्रतिशत) में वृद्धि हुई है तथा (v) 'कोयला एवं लिग्नाइट' जोकि 2013-14 में ₹136.18 करोड़ से 2014-15 में ₹6,179.26 करोड़ (4,437.57 प्रतिशत) तक वृद्धि हुई थी।

1.2.5 गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियां

राज्य तथा संघ शासित क्षेत्र सरकारों, विदेशी सरकारों, सरकारी निगमों, गैर सरकारी संस्थानों तथा सरकारी कर्मचारियों से विविध पूंजीगत प्राप्तियां (बोनस शेयर, विनिवेश आदि) तथा ऋण एवं अग्रिमों की वसूली से गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियां, बनती हैं। 2011-15 की अवधि के दौरान, ब.अ. की तुलना में विविध पूंजीगत प्राप्तियां हमेशा से कम थी। कथित अवधि के दौरान, ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली, ब.अ से अधिक रही, जिससे आकलनों के निर्धारण में कमी पता चलती है (तालिका 1.5)।

तालिका 1.5: गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्ति से वसूली

अवधि	विविध पूंजीगत प्राप्ति			ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली		
	ब.अ.	वास्तविक*	वा. की	ब.अ.	वास्तविक	वा. की
	(₹ करोड़ में)		ब.अ. से प्रतिशत ता	(₹ करोड़ में)		ब.अ. से प्रतिशत ता
2011-12	40000	16471	41.18	26510	36818	138.88
2012-13	30000	25408	84.69	23095	26624	115.28
2013-14	55814	29368	52.62	22054	24549	111.31
2014-15	63425	37737	59.50	22817	26547	116.35


*बोनस शेयरों से प्राप्तियां शामिल नहीं हैं

विविध पूंजीगत प्राप्ति का प्रमुख भाग विनिवेश बनाता है। चार्ट 1.4 दर्शाता है कि अकेले कोल इंडिया लिमिटेड कुल ₹24,894.71 करोड़ के विनिवेश प्राप्तियों के 91 प्रतिशत (₹22,532.81 करोड़) का योगदान करता है। अन्य मुख्य योगदानकर्ता भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमि. (₹1,717.65 करोड़, 7 प्रतिशत) तथा राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (₹550.00 करोड़, 2 प्रतिशत), एन टी पी

सी लिमि. (₹48.16 करोड़), नालको (₹12.45 करोड़), मेकॉन (₹12.60 करोड़) आदि हैं।

चार्ट 1.4 विनिवेश की प्रक्रिया के घटक


(₹ करोड़ में)



1.3 व्यय विश्लेषण

भारत की समेकित निधि (भा.स.नि.) तथा लोक लेखे (लो.ले.) से 2014-15 के लिए कुल संवितरण ₹ 65,39,742 करोड़ के थे।

चार्ट 1.5: कुल संवितरणों की घटक तालिका



2014-15 में, सरकार के कुल संवितरण ₹ 59,40,471 करोड़ के पिछले वर्ष के संवितरणों से 10.09 प्रतिशत तक बढ़े। भा.स.नि. से 85.89 प्रतिशत (लोक ऋण का पुनर्भुगतान 56.70 प्रतिशत तथा वास्तविक व्यय 29.19 प्रतिशत) था। शेष 14.11 प्रतिशत संवितरण लोक लेखा से था (चार्ट 1.5)।

तालिका 1.6 में सरकार द्वारा किए गए संवितरणों के विभिन्न घटकों के अंश को दिया गया है। कुल संवितरण में ऋण के पुनर्भुगतान का अनुपात 2011-12 के दौरान 62.06 प्रतिशत से 2014-15 में 56.70 प्रतिशत तक घट गया है। हालांकि, उसी अवधि के दौरान लोक लेखा संवितरण का अंश 11.61 प्रतिशत से बढ़कर 14.11 प्रतिशत तक हो गया। 2011-12 से 2013-14 के दौरान वास्तविक व्यय का अंश 26.33 प्रतिशत से बढ़कर 29.88 प्रतिशत हुआ तथा 2014-15 में 29.19 तक की कमी आई थी। 2011-15 के दौरान वास्तविक व्यय के अनुपात के रूप में राजस्व व्यय लगभग 88 प्रतिशत पर रहा। वास्तविक व्यय के प्रति योजनागत व्यय का अनुपात 2011-12 में 27.81 प्रतिशत से 2014-15 में 24.23 प्रतिशत तक घटा है।

तालिका 1.6: कुल संवितरण के विभिन्न घटकों का अंश

(प्रतिशत में)


विवरण	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
कुल संवितरण के घटक				
ऋण का पुनर्भुगतान	62.06	60.27	59.11	56.70
लोक लेखा से संवितरण	11.61	11.54	11.01	14.11
वास्तविक व्यय (वा.व्य.)	26.33	28.19	29.88	29.19
वास्तविक व्यय के घटक				
राजस्व व्यय (रा.व्य.)	88.01	88.62	88.74	88.79
पूंजीगत व्यय (पूं.व्य.)	9.40	9.38	9.51	9.01
कर्ज एवं पेशगियां (क.प.)	2.59	2.00	1.75	2.20
राजस्व व्यय के घटक				
योजनागत राजस्व व्यय	25.57	23.18	22.39	21.10
गैर योजनागत राजस्व व्यय	74.43	76.82	77.61	78.90
पूंजीगत व्यय के घटक				
योजनागत पूंजीगत व्यय	41.98	45.24	48.52	44.93
गैर योजनागत पूंजीगत व्यय	58.02	54.76	51.48	55.07
ऋण अग्रिमों के घटक				
योजनागत कर्ज	52.35	51.13	60.24	66.14
गैर योजनागत कर्ज	47.65	48.87	39.76	33.86
योजनागत व्यय की वा.व्य. से प्रतिशतता	27.81	25.80	25.54	24.23
गैर-योजनागत व्यय की वा.व्य. से प्रतिशतता	72.19	74.20	74.46	75.77

1.3.1 राजस्व तथा पूंजीगत व्यय

राजस्व व्यय वह वर्तमान व्यय है, जिससे परिसम्पत्तियों का सृजन का परिणाम नहीं होता। यह केवल सरकार के नियमित परिचालन के लिए होता है जिसमें अनुरक्षण व्यय, ब्याज भुगतान, आर्थिक सहायता अंतरण आदि शामिल होते हैं। राज्य सरकारों अथवा अन्य निकायों या प्राधिकरणों को दिए गए अनुदानों को भी राजस्व व्यय के रूप में माना जाता है। पूंजीगत व्यय में परिसंपत्तियों के अधिग्रहण हेतु भुगतान, शेयर पूंजी में निवेश तथा सरकार द्वारा दिए गए कर्ज एवं पेशगियां शामिल हैं। चार्ट 1.6 पूंजीगत व्यय के ऊपर राजस्व व्यय के प्रभुत्व को दर्शाता है। वर्ष 2011-12 में पूंजीगत व्यय का अंश 12 प्रतिशत था तथा राजस्व व्यय 88 प्रतिशत पर था। तथापि, अगले वर्ष में पूंजीगत व्यय 11 प्रतिशत रह गया तथा 2012-15 में उसी स्तर पर रहा। 2013-14 में

पूंजीगत व्यय में 9.54 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर्ज की थी लेकिन 2014-15 में 7.09 प्रतिशत की हुई थी।

चार्ट 1.6: पूंजीगत व्यय के साथ राजस्व व्यय की तुलना



* ऋण एवं अग्रिम शामिल हैं।

1.3.2 राजस्व व्यय का विश्लेषण


चूंकि वित्त लेखे में घटक वार व्यय के विवरण उपलब्ध नहीं है, इस रिपोर्ट के कुछ अध्यायों में विश्लेषणों को पूरा करने के लिए ई-लेखा का उपयोग किया गया है। ई-लेखा वेतन एवं लेखा कार्यालयों तथा अन्य ऑफलाइन इंटरफेसों में उपयोग होने के कारण मूल्य वर्धित रिपोर्टिंग तथा मॉनीटरिंग तंत्र के लिए दैनिक, मासिक एवं वार्षिक लेखांकन प्रक्रिया के एकीकरण के साथ मूल लेखांकन की प्रणाली प्रदान करता है।

वित्त लेखे में व्यय आंकड़ों को वसूलियों के निवल के रूप में दर्शाया गया था और इस प्रकार, ई-लेखा से आंकड़े जहां अपनाए गए हैं, वह निवल प्राप्तियां हैं। ई-लेखा से प्राप्त घटकों की संख्या का डाटा समय पर ई-लेखा के अद्यतन न किए जाने के कारण वित्त लेखे में उपलब्ध डाटा से मेल नहीं खाता।

वर्ष 2014-15 के लिए कुल राजस्व व्यय ₹16,95,137 करोड़ था जोकि वास्तविक व्यय का 88.79 प्रतिशत है। राजस्व व्यय पिछले वर्ष के 10.89 प्रतिशत के प्रति 2014-15 के दौरान 7.62 प्रतिशत तक बढ़ा था।

ब्याज भुगतानों, सहायता अनुदान, आर्थिक सहायता, पेंशन तथा रक्षा-संबंधी व्यय राजस्व व्यय के मुख्य घटकों (लगभग 90 प्रतिशत) का गठन करते हैं जैसाकि चार्ट 1.7 में दर्शाया गया है।

चार्ट 1.7: राजस्व व्यय के मुख्य घटक



(क) **सहायता अनुदान:** सामान्य उद्देश्य तथा पूंजीगत सृजन दोनों के लिए सहायता अनुदान राज्य/ संघ शासित क्षेत्र की सरकारों तथा विदेशी सरकारों को दी गई है। भा.स.नि. से अनुदान निकायों/प्राधिकरणों/हस्तियों को दोनों उद्देश्यों तथा वेतनों के भुगतान हेतु भी दी जाती है। अनुदानों को उसी उद्देश्य जिसके लिए वे संस्वीकृत किए गए हैं, उपयोग किया जाना होता है तथा शेष अप्रयुक्त राशियों को अभ्यर्पित अथवा आवर्ती अनुदानों के मामले में भविष्य में समायोजित किया जाना होता है। राजस्व व्यय का सहायता अनुदान से अनुपात पूर्व वर्ष से 2014-15 में 27 प्रतिशत से 25 प्रतिशत तक घट गया है। (चार्ट 1.7)।

(ख) **ब्याज भुगतान :** लोक ऋण, (आंतरिक एवं बाह्य दोनों) पर ब्याज तथा सरकार की अन्य ब्याज सहित देयताओं जिसमें बीमा तथा पेंशन निधियों, भविष्य निधियां, आरक्षित निधियां, जमा, विभिन्न केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम को जारी विशेष प्रतिभूतियों पर ब्याज आदि शामिल हैं, का भुगतान करने की व्यवस्था करता है। यह ऋण की कटौती अथवा बचाव दर व्यय को भी सम्मिलित करता है। ब्याज भुगतान राजस्व व्यय का दूसरा बड़ा घटक है (चार्ट 1.7)। राजस्व व्यय से ब्याज भुगतान का अनुपात वर्ष 2011-12 में

21.99 प्रतिशत था जो चालू वर्ष में 25.08 प्रतिशत तक बढ़ गया (तालिका 1.7)। बढ़ते हुए ब्याज भुगतानों का अंश अन्य व्यय में से परिपूर्णता को दर्शाता है। हालांकि 2013-14 में 19.70 प्रतिशत की वृद्धि के प्रति 2014-15 में ब्याज भुगतान की वृद्धि 7.57 प्रतिशत थी।


तालिका 1.7: राजस्व व्यय का ब्याज भुगतान

(₹ करोड़ में)

वर्ष	राजस्व व्यय (रा.व्य.)	ब्याज भुगतान (ब्य.भु.)	ब्य.भु. की वृद्धि रा.व्य का अंश	ब्या.व्य. से रा.व्य. का अंश
2011-12	1305195	286982	11.98	21.99
2012-13	1420473	330171	15.05	23.24
2013-14	1575097	395200	19.70	25.09
2014-15	1695137	425098	7.57	25.08

2014-15 में किए गए ब्याज भुगतान के घटक चार्ट 1.8 में दर्शाए गए हैं। आंतरिक ऋण के कारण ब्याज भुगतान कुल ब्याज भुगतानों का 87 प्रतिशत (₹3,71,420 करोड़) है।

चार्ट 1.8: ब्याज व्यय के प्रमुख घटक



कुल ब्याज भुगतान ₹4,25,098 करोड़, (आंतरिक ऋण पर ब्याज ₹3,71,420 करोड़, बाह्य ऋण पर ब्याज : ₹3,766 करोड़, लघु बचत एवं भविष्य निधि पर ब्याज: ₹33,478 करोड़, पेट्रोलियम बंध पत्रों पर ब्याज : ₹9,849 करोड़, आरक्षित निधि पर ब्याज ₹379 करोड़ तथा अन्य दायित्वों पर ब्याज : ₹6,206 करोड़)।

(ग) **आर्थिक सहायताएं:** आर्थिक सहायताएं आर्थिक लाभ (जैसे कर भत्ता या शुल्क छूट) या वित्तीय सहायता (जैसे नकद अनुदान या आसान ऋण) को प्रदर्शित करती है जो सरकार द्वारा किसी वस्तु के बाजार मूल्य को इसके लागत

मूल्य से कम करने के लिए प्रदान की जाती है। आर्थिक सहायताएं न केवल सुस्पष्ट रूप से, अर्थात् बजट के माध्यम से, बल्कि लोगों को आर्थिक सहायता प्राप्त लोक सेवाएं प्रदान करके भी प्रदान की जाती हैं। वित्तीय संस्थानों तथा बैंकों को बजटीय सहायता, लो.क्षे.उ. में निवेश से अपर्याप्त वापसियां तथा सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं, जो सरकार द्वारा प्रदान की जाती हैं, से उपभोक्ता प्रभारों की अपर्याप्त वसूली अप्रत्यक्ष आर्थिक सहायताओं की श्रेणी में आती हैं। तालिका 1.8 आर्थिक सहायताओं जिसे सरकार ने सुस्पष्ट रूप से प्रदान किया था, की स्थिति दर्शाती है। इस शीर्ष के अंतर्गत व्यय का बढ़ा हिस्सा खाद्य, उर्वक एवं पेट्रोलियम आर्थिक सहायता की ओर है। आर्थिक सहायता पर कुल व्यय पिछले वर्ष से 2014-15 में 1.40 प्रतिशत तक सीमान्त रूप से बढ़ा है। तथापि, खाद्य तथा यूरिया पर आर्थिक सहायताएं कथित अवधि से 2014-15 में क्रमशः ₹25,671 करोड़ (28 प्रतिशत) तथा ₹12,385 करोड़ (33 प्रतिशत) तक बढ़ा। विनियंत्रित उर्वकों तथा पेट्रोलियम पर आर्थिक सहायताओं ने पिछले वर्ष से 2014-15 में क्रमशः 30 प्रतिशत तथा 29 प्रतिशत की नकारात्मक वृद्धि देखी जो इस प्रकार आर्थिक सहायताओं पर कुल व्यय आविष्ट करने को योग्य बनाता है।

तालिका 1.8: संघ सरकार के बजट में सुस्पष्ट आर्थिक बाध्यताएं

अवधि	खाद्य	उर्वक@ (यूरिया)	उर्वक# (विनियंत्रित)	पेट्रोलियम आर्थिक सहायता	अन्य *	कुल आर्थिक सहायता	आर्थिक सहायता	
							(क)	(ख)
(₹करोड़ में)							प्रतिशत ता	
2011-12	72822 (14)	33924 (39)	36108 (-13)	68481 (78)	6567 (-32)	217902 (23)	2.47	16.69
2012-13	85000 (17)	35132 (4)	30576 (-15)	96880 (41)	9591 (46)	257179 (18)	2.57	18.11
2013-14	92000 (8)	38038 (8)	29427 (-4)	85378 (-12)	9902 (3)	254745 (-1)	2.25	16.17
2014-15	117671 (28)	50423 (33)	20667 (-30)	60269 (-29)	9269 (-6)	258299 (1)	2.06	15.24

@ देशी एवं आयातित उर्वकों (यूरिया) पर दी गई आर्थिक सहायता को दर्शाता है।

विनियंत्रित उर्वकों की बिक्री पर किसानों को छूट के रूप में दी गई आर्थिक सहायता को दर्शाता है।


* अन्य में ब्याज आर्थिक सहायता, नेफेड को दिया गया अनुदान, मुद्रा नुकसान के लिए मुआवजा, हज अध्यायों के लिए आर्थिक सहायता के लिए आदि।

(क) सं.घ.उ. की प्रतिशतता के रूप में

(ख) राजस्व व्यय की प्रतिशतता के रूप में

नीचे चार्ट 1.9 आर्थिक सहायताओं के विभिन्न घटकों का हिस्सा प्रस्तुत करता है। पेट्रोलियम आर्थिक सहायताओं का हिस्सा 2013-14 में 33 प्रतिशत से 2014-15 में 23 प्रतिशत तक कम हो गया है। इसी प्रकार विनियंत्रित उर्वरकों के हिस्सा ने भी चार प्रतिशत बिन्दुओं की कमी दर्ज की। तथापि खाद्य आर्थिक सहायता का हिस्सा उसी अवधि के दौरान 36 प्रतिशत से 46 प्रतिशत तक बढ़ गया।

चार्ट 1.9: सुस्पष्ट आर्थिक सहायताओं के घटक




खाद्य, उर्वरक तथा पेट्रोलियम के क्षेत्रों में कार्यरत निगम तथा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के वित्तीय विवरणों में दर्शाए गए प्राप्य संबंधित मंत्रालयों से पूर्ण सूचना के अभाव में संघ सरकार द्वारा की गई तदनुसूची आर्थिक सहायता प्रतिपूर्तियों के साथ सहसंबंधित थे। चार सी.पी.एस.यू. यथा राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड (एन एफ एल), फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स ट्रावनकोर लिमि., मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमि., हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमि. तथा भारतीय खाद्य निगम (एफ सी आई) के लेखाओं की जांच की गई और इस कवायद के दौरान सहसंबंध किया गया था।

इस जांच के आधार पर यह प्रकट हुआ कि ₹27,759 करोड़ के आर्थिक सहायता दावे (एफ सी आई की ₹23,699 करोड़ और उर्वरक तथा पेट्रोलियम क्षेत्रों में उपक्रमों को ₹4,060 करोड़) वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान संघ सरकार द्वारा अदा नहीं किए गए हैं जैसा अनुबंध 1.1 में दर्शाया गया है। ₹27,759 करोड़ के आंकड़ों की, इस संख्या को निकालते समय 2014-15 की अंतिम तिमाही के दौरान सरकार को प्रस्तुत दावे बाहर रखे गए हैं। यदि वित्त वर्ष के दौरान तीन तिमाहियों के इन दावों का भुगतान किया गया होता तो आर्थिक सहायताओं पर

कुल व्यय ₹2,86,058 करोड़ होता। इस संख्या को हिसाब में लेकर आर्थिक सहायताओं पर व्यय 2.06 प्रतिशत के प्रति 2014-15 में जी डी पी का 2.28 प्रतिशत होता। यदि बकाया आर्थिक सहायता दावे विगत अप्रदत्त दावों सहित कुल जोड़ में लिए जाते तथा 2014-15 के दौरान चौथे तिमाही के दावे ₹44,941 करोड़ को छोड़ने के पश्चात् तब कुल आर्थिक सहायता व्यय ₹3,03,240 करोड़ होता जो जी डी पी का 2.42 प्रतिशत बनता है। अनुबंध 1.1 से यह देखने में आएगा कि एफ सी आई तथा एन एफ एल के मामले में अप्रदत्त आर्थिक सहायता दावे गत पांच वर्षीय अवधि के दौरान बढ़ती प्रवृत्ति दर्शाते हैं। ये 2010-11 में ₹15,669 करोड़ तथा ₹1,497 करोड़ से बढ़कर 2014-15 में क्रमशः ₹58,654 करोड़ तथा ₹4,975 करोड़ हो गए।


(घ) **पेंशन भुगतान:** पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभों पर व्यय 2011-12 में ₹61,166 करोड़ से बढ़कर 2014-15 में ₹93,611 करोड़ हो गया जिसमें चार वर्षों की अवधि के दौरान 2011-15 में 53.04 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई (चार्ट 1.10)। विचाराधीन रक्षा पेंशनों के मामले में, 60.90 प्रतिशत तक वृद्धि हुई तथा यह ₹60,450 करोड़ था। 2011-12 में सिविल पेंशन ₹23,597 करोड़ रही, जो कि 2014-15 में बढ़कर ₹33,161 करोड़ हो गई और उसमें 2011-15 के दौरान 40.53 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई। चार वर्षों की अवधि के दौरान, रक्षापेंशन भुगतान कुल पेंशन भुगतान के 60-65 प्रतिशत के बीच दोलायमान था।

चार्ट 1.10: पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभों पर व्यय



(इ) रक्षा व्यय: जैसा कि चार्ट 1.11 में दर्शाया गया है, रक्षा राजस्व व्यय (₹2,23,771 करोड़) में, थल सेना (₹99,322 करोड़), नौसेना (₹14,352 करोड़), वायु सेना (₹22,685 करोड़), आयुध कारखाने (₹2,550 करोड़) अनुसंधान एवं विकास (₹6,237 करोड़) रक्षा पेंशन (₹60,450 करोड़) तथा रक्षा मंत्रालय (₹18,175 करोड़)² के व्यय शामिल हैं। 2014-15 में, राजस्व व्यय 2013-14 के दौरान 12.13 प्रतिशत के प्रति केन्द्रीय सरकार के कुल राजस्व व्यय का 13.20 प्रतिशत था। 2014-15 में रक्षा पेंशन को छोड़ने के बावजूद, रक्षा राजस्व व्यय ₹1,63,321 करोड़ (10 प्रतिशत) कुल राजस्व व्यय का था।

चार्ट 1.11: रक्षा पर राजस्व व्यय




1.3.3 पूंजीगत व्यय का विश्लेषण

पूंजीगत लेखा व्यय (ऋण तथा अग्रिमों सहित) परिसंपत्ति अर्जन तथा मौजूदा परिसंपत्तियों के उपयोग में वृद्धि करने पर किया जाता है। पूंजीगत लेखा व्यय 2013-14 (चार्ट 1.6) में ₹1,99,844 करोड़ के प्रति पिछले वर्ष में ₹14,163 करोड़ (7.09 प्रतिशत) तक बढ़ा तथा 2014-15 में ₹2,14,007 करोड़ (₹41,922 करोड़ ऋण तथा अग्रिम सहित) रहा। वास्तविक व्यय में पूंजीगत व्यय का अंश 2013-14 में 9.51 प्रतिशत से 2014-15 में 9.01 प्रतिशत तक सीमांत रूप से बढ़ा है (तालिका 1.6)।

चार्ट 1.12 से यह देखने में आएगा कि रक्षा सेवाओं, परिवहन, रेलवे तथा सामान्य आर्थिक सेवाओं पर व्यय कुल पूंजीगत व्यय का 71 प्रतिशत बना।

² स्रोत: अनुदान सं.-20 के विनियोग लेखे - रक्षा मंत्रालय। यह कैन्टीन स्टोर्स डिपार्टमेंट, जे एण्ड के लाइट इन्फेन्ट्री, तटस्थल संगठन आदि पर व्यय शामिल करता है।

चार्ट 1.12: 2014-15 में पूंजीगत लेखा व्यय-मुख्य क्षेत्र



सामान्य आर्थिक सेवाओं के अंतर्गत ₹16,074 करोड़ के पूंजीगत व्यय में से मुख्य व्यय निम्नलिखित घटकों पर किया गया था।

(₹ करोड़ में)

पूंजीगत व्यय के प्रमुख घटक: आर्थिक सेवाएं	राशि
सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों/बैंकों में निवेश	7090
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि	4619
अन्य आर्थिक सेवाओं के लिए ऋण	2428
एशियाई विकास बैंक में निवेश	263
पुनर्निर्माण तथा विकास के अंतर्राष्ट्रीय बैंक में निवेश	231
जोड़	14631

₹62,841 करोड़ के अन्य पूंजीगत व्यय की श्रेणी के अंतर्गत प्रमुख व्यय निम्नलिखित घटकों पर किया गया था।

(₹ करोड़ में)


अन्य पूंजीगत व्यय के मुख्य घटक	राशि
राज्य योजना के लिए सकल ऋण	11897
भारतीय खाद्य निगम को उधार	10000
विद्युत परियोजनाओं के लिए ऋण (संघ सरकार को एन टी पी सी लिमि. द्वारा जारी बोनस ऋणपत्रों के प्रति 7726 करोड़ के ऋण सहित)	9060
पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय	6035
नगर निगमों को ऋण	4351

भूटान को अग्रिम	2113
शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय	1780
लोक निर्माण कार्यो पर पूंजीगत परिव्यय	1076
इंजीनियरी, उपभोक्ता तथा दूरसंचार एवं इलेक्ट्रानिक उद्योगों को ऋण	1025
सरकारी आवासीय भवन पर पूंजीगत परिव्यय	1010
चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	938
कृषि वित्तीय संस्थाओं में निवेश एवं ऋण	862
कमजोर वर्गों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	764
जोड़	50911

1.3.4 योजनागत व्यय का विश्लेषण

वित्त लेखे व्यय को आगे योजनागत और गैर योजनागत में बांटने का प्रावधान करते हैं। योजनागत व्यय, सामान्यतः नई परियोजनाओं अथवा योजनाओं पर संवृद्धि विकासात्मक व्यय से संबंधित होता है। दूसरी ओर गैर योजनागत व्यय सामान्यतः पहले से प्राप्त सेवाओं के स्तरों को बनाए रखने के लिए होता है। तथापि, योजनागत तथा गैर योजनागत व्यय दोनों में राजस्व व्यय के सापेक्ष पूंजीगत व्यय में वृद्धि को गुणात्मक रूप से अधिक वांछनीय माना जाता है क्योंकि इससे सरकार द्वारा सामाजिक और आर्थिक अवसंरचना नेटवर्क का विस्तार और पूंजी निर्माण होता है। चार्ट 1.13 दर्शाता है कि वास्तविक व्यय के अनुपात के रूप में योजनागत व्यय 2011-12 के दौरान 28 प्रतिशत था परंतु 2014-15 में 24 प्रतिशत के स्तर तक घटा।

चार्ट 1.13: योजनागत व्यय एवं गैर योजनागत व्यय




1.3.5 योजनागत व्यय के मुख्य घटक

जैसा कि चार्ट 1.14 से देखा जा सकता है सहायता अनुदान, निवेश, तथा ऋण 2014-15 में योजनागत व्यय का 82 प्रतिशत बनते हैं। 2013-14 की तुलना में 2014-15 के दौरान सहायता अनुदान 70 प्रतिशत से सीमान्त रूप से कुल योजनागत व्यय के 69 प्रतिशत तक कम हो गया।

चार्ट 1.14: योजनागत व्यय के घटक

(₹ करोड़ में)



स्रोत: 06 नवम्बर 2015 को प्रदत्त ई-लेखा द्वारा प्रदत्त डाटा डम्प 59 जर्नल प्रविष्टियों के साथ

1.3.6 सरकार के मुख्य फ्लैगशिप कार्यक्रम - वास्तविक व्यय

संघ सरकार फ्लैगशिप कार्यक्रमों के माध्यम से मुख्य विकास प्राथमिकताओं पर लक्ष्य कर रही है। जुलाई 2013 में सरकार ने वर्तमान 137 केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजनाओं की समीक्षा की और 17 फ्लैगशिप कार्यक्रमों सहित 66 योजनाओं में उन्हें पुनर्गठित किया। 17 फ्लैगशिप कार्यक्रमों, जिनके विवरण लोक वित्त प्रबन्धन प्रणाली (पी.एफ.एम.एस.), वित्त मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं, में से सात प्रमुख कार्यक्रमों की तालिका 1.9 में विश्लेषण किया गया है।

सात फ्लैगशिप योजनाओं पर व्यय 2013-14 में ₹1,13,824 करोड़ से 2014-15 में ₹1,00,754 करोड़ (11.48 प्रतिशत की कमी) तक कम हुआ है। जैसा तालिका 1.9 से यह देखा जा सकता है कि पी.एम.जी.एस.वाई. को छोड़कर सभी मुख्य योजनाओं पर व्यय पिछले वर्ष की तुलना में कम हुआ है। बजट अनुमानों 2014-15 की तुलना में सभी योजनाओं में गिरावट देखी गई। 44.13 प्रतिशत तथा 30.59 प्रतिशत की अधिकतम गिरावट क्रमशः आर.जी.जी.वी.वाई. तथा आई.ए.वाई. में देखी गयी थीं।

तालिका 1.9: संघ सरकार के मुख्य फ्लैगशिप कार्यक्रमों पर योजनागत व्यय

(₹ करोड़ में)

		मनरेगस	स.शि.अ.	म.भो.यो.	रा.गा.स्वा.मि.	इं.आ.यो.	प्र.गा.स.यो.	रा.गां.गा.वि.यो.	कुल
2011-12	ब.अ.	40000	20413	10061	19838	10000	20000	6000	126312
	वास्तविक	29213	20841	9891	17983	9872	19342	2237	109379
	ब.अ. से विचलन (प्रतिशत में)	(-26.97)	2.10	(-1.69)	(-9.35)	(-1.28)	(-3.29)	(-62.72)	(-13.41)
2012-13	ब.अ.	33000	24243	11643	22799	11075	24000	4900	131660
	वास्तविक	30274	23873	10849	18661	7869	8884	698	101108
	ब.अ. से विचलन (प्रतिशत में)	(-8.26)	(-1.53)	(-6.82)	(-18.15)	(-28.95)	(-62.98)	(-85.76)	(-23.21)
2013-14	ब.अ.	33000	26358	12879	23148	15184	21700	4500	145769
	वास्तविक	32993	24802	10918	19385	12982	9805	2939	113824
	ब.अ. से विचलन (प्रतिशत में)	(-0.02)	(-5.90)	(-15.23)	(-16.26)	(-14.50)	(-54.82)	(-34.69)	(-21.91)


नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन
संघ सरकार के लेखे 2014-15

2014-15	ब.अ.	34000	27349	12828	10254	16000	9852	5144	115427
	वास्तविक	32977	24068	10523	8468	11106	10738	2874	100754
	ब.अ. से विचलन (प्रतिशत में)	(-3.01)	(-12.00)	(-17.97)	(-17.42)	(-30.59)	8.99	(-44.13)	(-12.71)

1.3.7 मुख्य मंत्रालयों में योजनागत व्यय में सहायता अनुदान का अनुपात

चार्ट 1.15 2014-15 में वृहत् योजनागत व्यय वाले 10 मंत्रालयों/विभागों हेतु योजनागत व्यय के भीतर सहायता अनुदान के अनुपात को दर्शाता है।

चार्ट 1.15: मुख्य मंत्रालयों/विभागों में कुल योजनागत व्यय के अनुपात के रूप में सहायता अनुदान (पूँजीगत सृजन हेतु सहायता अनुदान सहित)



* राशि ₹ करोड़ में

नोट: स.अ.=सहायता अनुदान; यो.व्य.=योजनागत व्यय, ग्रा.वि. =ग्रामीण विकास, रा.सं.शा.क्षे.स.अ. = राज्य तथा संघ शासित क्षेत्र सरकारों को अंतरण, स्कू.शि.सा.=स्कूली शिक्षा, एवं साक्षरता, सा.न्या.अ. = सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, स्वा.प.क.=स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कृ.स.=कृषि एवं सहकारिता, म.बा.वि.=महिला एवं बाल विकास, पे.ज.स्व.=पेय जल एवं स्वच्छता, उ.शि.=उच्चतर शिक्षा।

स्रोत: 59 जर्नल प्रविष्टियाँ सहित दिनांक 06 नवम्बर 2015 को 'ई-लेखा' डाटा डम्प।

जैसा कि स्पष्ट है, कि ग्रामीण विकास, विद्यालय शिक्षा एवं साक्षरता, महिला एवं बाल विकास, पेय जल एवं स्वच्छता तथा उच्चतर शिक्षा मंत्रालय/विभागों में लगभग समग्र योजनागत व्यय निकायों/प्राधिकरणों/राज्य सरकारों को सहायता अनुदान का संवितरण था।

1.4 राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम का अनुपालन

राजकोषीय स्थिति में अवनति को देखकर सरकार ने अगस्त 2003 में राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम (एफ.आर.बी.एम.) बनाया। अधिनियम का उद्देश्य राजकोषीय अनुशासन को संस्था का रूप देना, राजकोषीय घाटे (एफ.डी.) को कम करना और दीर्घ आर्थिक प्रबंधन और संतुलित बजट की ओर चलने के द्वारा लोक निधियों का प्रबंधन सुधारना था। अधिनियम राजकोषीय प्रबंधन में इंटर जनरेशनल इक्विटी और दीर्घवधि आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार का उत्तरदायित्व प्रदान करने के लिए बनाया गया था। अधिनियम की धारा 8 के अंतर्गत बनाये गये एफ.आर.बी.एम. नियम 2004, जुलाई 2004 से प्रभावी हुए।

इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अधिनियम में राजस्व घाटे (आर.डी.) के विलोपन और मार्च 2008 तक सकल घरेलू उत्पाद (स.घ.उ.) के 3 प्रतिशत से कम तक एफ.डी. में कटौती के लक्ष्य अनुबद्ध किये गये। तथापि अधिनियम में संशोधन (जुलाई 2004) के बाद ये लक्ष्य मार्च 2009 तक बढ़ा दिये गये। इसके अलावा फरवरी 2009 में वैश्विक आर्थिक मंदी और प्रतिकूल आर्थिक परिस्थितियों के कारण सरकार ने एफ.आर.बी.एम. लक्ष्यों को अस्थगित करने का निर्णय लिया। राजकोषीय समेकन हेतु नये लक्ष्य निर्धारित कर संशोधित एफ.आर.बी.एम. नियम 2012 मई 2013 में अधिसूचित किये गये थे।

तेरहवें वित्त आयोग (टी.एफ.सी.) ने अपनी रिपोर्ट (दिसम्बर 2009) में सिफारिश की थी कि केंद्र एफ.आर.बी.एम. प्रक्रिया के कार्यान्वयन की स्वतंत्र समीक्षा और निगरानी की एक प्रक्रिया स्थापित करे। तदनुसार एफ.आर.बी.एम. अधिनियम में संशोधन में से एक (मई 2012) नई धारा (7ए) का आरंभ था जो प्रावधान करता है कि केंद्र सरकार इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन की यथा अपेक्षित आवधिक रूप से समीक्षा करने का कार्य भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को सौंपे और ऐसी समीक्षाएं संसद के दोनो सदनों के समक्ष प्रस्तुत की जाएंगी।

एफ.आर.बी.एम. अधिनियम³ के अंतर्गत मुख्य लक्ष्य नीचे विस्तृत हैं:-

³ एफ.आर.बी.एम. नियमों का नियम 3


- 31 मार्च 2015 तक प्रभावी राजस्व घाटे (ई.आर.डी.) का विलोपन जो मार्च 2018 तक बढ़ाया गया है। वित्त वर्ष 2013-14 से आरंभ ई.आर.डी. स.घ.उ.⁴ के 0.8 प्रतिशत अथवा अधिक तक के बराबर राशि तक प्रतिवर्ष कम की जाएगी।
- 31 मार्च 2015 तक स.घ.उ. के अनधिक दो प्रतिशत का राजस्व घाटा (आर.डी.) जो मार्च 2018 तक बढ़ाया गया है। केंद्र सरकार वि.व. 2013-14 से आरंभ कर स.घ.उ. के 0.6 प्रतिशत अथवा अधिक के बराबर राशि तक आर.डी. कम करेगा।
- सरकार वि.व. 2004-05 से आरंभ कर किसी वित्त वर्ष में स.घ.उ. के 0.5 प्रतिशत से अधिक कुल राशि की गारंटी नहीं देगी।
- वि.व. 2013-14 से आरंभ कर स.घ.उ. के 0.5 प्रतिशत अथवा अधिक के बराबर राशि तक एफ.डी. में कमी ताकि एफ.डी. 31 मार्च 2017 के अंत तक स.घ.उ. के 3 प्रतिशत से अधिक न हो। वित्त विधेयक 2015 में लक्ष्य मार्च 2018 तक बढ़ाया गया है।
- सरकार वि.व. 2004-05 से स.घ.उ. के 9 प्रतिशत से अधिक अतिरिक्त देयताओं (चालू विनिमय दर पर बाह्य ऋण सहित) का उत्तरदायित्व नहीं लेगी और प्रत्येक परवर्ती वित्त वर्ष में स.घ.उ. की 9 प्रतिशत की सीमा स.घ.उ. के कम से कम एक प्रतिशत प्वाइंट तक प्रगामी रूप से कम की जाएगी।

1.4.1 घाटे

सरकार की वित्तीय स्थिति का निर्धारण करने के लिए सामान्यतया तीन प्रकार के घाटे (बाक्स 1.2) प्रयोग किए जाते हैं जो (i) राजस्व घाटा, (ii) राजकोषीय घाटा और (iii) प्राथमिक घाटे हैं।

⁴ एफ.आर.बी.एम. नियमों के अनुसार जी.डी.पी. का अर्थ चालू मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद है।

बॉक्स 1.2: घाटे के प्रकार



(क) राजस्व घाटा


राजस्व घाटा राजस्व व्यय तथा राजस्व प्राप्ति के बीच अंतर को दर्शाता है। राजस्व घाटा बिना तदनुरूप पूंजी/परिसंपत्ति के निर्माण के उधारों में वृद्धि का कारण बनता है। अतः राजस्व घाटे को पूरा करने के लिए, लिए गए उधार का कोई भी परिसंपत्ति बैक अप नहीं होता तथा यह एक बेमेल परिसंपत्ति देयता का सृजन करता है। इन कारणों से, राजस्व घाटा साधारणतः कम वांछनीय समझा जाता है।

तालिका 1.10: राजस्व घाटा तथा उसके मापदण्ड

अवधि	राजस्व प्राप्ति	राजस्व व्यय	राजस्व घाटा	प्रतिशतता के रूप में राजस्व घाटा		
				राजस्व प्राप्ति	राजस्व व्यय	स.घ.उ.
2011-12	910277	1305195	394918	43.38	30.26	4.47
2012-13	1055891	1420473	364582	34.53	25.67	3.65
2013-14	1217794	1575097	357303	29.34	22.68	3.15
2014-15	1328909	1695137	366228	27.56	21.60	2.92

तालिका 1.10 दर्शाती है कि 2011-12 में राजस्व घाटा ₹3,94,918 करोड़ के स्तर पर था। तब से इसने कम होने की प्रवृत्ति को प्रदर्शित किया तथा 2013-14 में ₹3,57,303 करोड़ के स्तर पर पहुंच गया। तथापि 2014-15 में राजस्व घाटा ₹3,66,228 करोड़ तक बढ़ गया। स.घ.उ. के संबंध में, राजस्व घाटा 2011-12 में 4.47 प्रतिशत के स्तर पर था तथा 2014-15 में यह 2.92 प्रतिशत तक कम हो गया।

चार्ट 1.16 राजस्व घाटा एवं स.घ.उ. की प्रतिशतता



(ख) राजकोषीय घाटा

राजकोषीय घाटा गैर-ऋण प्राप्तियों की तुलना में वास्तविक व्यय का आधिक्य है। यह सरकार के अपेक्षित उधारों तथा इसके बकाया ऋण के प्रति वृद्धि को भी इंगित करता है। यह सामान्यतः सरकार की निवल वर्धनीय देयताओं अथवा राजस्व तथा व्यय के मध्य बजटीय अन्तर को पाटने के लिए इसके द्वारा लिए गए अतिरिक्त लोक ऋण को प्रस्तुत करता है। कमी को अतिरिक्त लोक ऋण (आंतरिक अथवा बाह्य) या लोक लेखे से अधिशेष निधियों के प्रयोग द्वारा पूरा किया जा सकता है।


तालिका 1.11: राजकोषीय घाटा तथा इसके मापदण्ड

अवधि	गैर ऋण प्राप्तियां	कुल व्यय	राजकोषीय घाटा	प्रतिशतता के रूप में राजकोषीय घाटा		
				गैर-ऋण प्राप्तियां	वास्तविक व्यय	स.घ.उ
2011-12	965183	1483064	517881	53.66	34.92	5.86
2012-13	1108404	1602918	494514	44.61	30.85	4.95
2013-14	1271711	1774941	503230	39.57	28.35	4.44
2014-15	1393196	1909144	515948	37.03	27.03	4.11

राजकोषीय घाटा 2011-12 में ₹5,17,881 करोड़ था जोकि आगे 2014-15 में ₹5,15,948 करोड़ तक हो गया। 2013-14 की तुलना में राजकोषीय घाटा 2014-15 में ₹12,718 करोड़ तक बढ़ गया। तथापि स.घ.उ. की प्रतिशतता के रूप में राजकोषीय घाटा घटती प्रवृत्ति का द्योतक है। यह 2011-12 में 5.86 प्रतिशत की तुलना में 2014-15 में स.घ.उ. के 4.11 प्रतिशत तक कम हो गया। 2014-15 के दौरान राजकोषीय घाटे का स.घ.उ. से अनुपात में सुधार मुख्यतया वास्तविक व्यय में 7.56 प्रतिशत की वृद्धि के प्रति कुल गैर ऋण प्राप्ति में 9.55 प्रतिशत की वृद्धि के कारण था।

इस अध्याय के पैरा 1.3.2 (ग) में यथा उल्लिखित वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान ₹44,941 करोड़ राशि के संघ सरकार द्वारा अप्रदत्त आर्थिक सहायता बिलों को हिसाब में लेकर राजकोषीय घाटा ₹5,60,889 करोड़ होता (4.11 प्रतिशत के प्रति स.घ.उ. के 4.47 प्रतिशत)

चार्ट 1.17 राजकोषीय घाटा एवं इसके मापदण्ड



यदि राजकोषीय घाटे का अधिकांश वास्तविक व्यय भाग पूंजीगत व्यय को कायम रखने के लिए अथवा पूंजीगत निर्माण हेतु इकाइयों को वित्तीय सुविधायें प्रदान करने के लिए है, तो ऐसे घाटे को एक हद तक वांछनीय समझा जा सकता है।

तालिका 1.12: राजकोषीय घाटे के संघटक

(प्रतिशत में)

अवधि	राजस्व घाटा	निवल पूंजीगत व्यय	निवल कर्जे एवं पेशगियां
2011-12	76.26	23.44	0.30
2012-13	73.73	25.17	1.10
2013-14	71.00	27.72	1.28
2014-15	70.98	26.04	2.98

जैसाकि उपरोक्त तालिका 1.12 से देखा जा सकता है कि राजकोषीय घाटे का बड़ा भाग राजस्व घाटे को वित्तपोषित करने के प्रति था। 2014-15 में राजस्व घाटा राजकोषीय घाटे के 70.98 प्रतिशत जबकि पूंजीगत व्यय 29.02 प्रतिशत था। पूंजीगत लेखा व्यय में वर्ष 2014-15 में कर्जे तथा उधारों के संवितरण में वृद्धि हुई थी (₹10,922 करोड़ तक) जिसके परिणाम स्वरूप राजकोषीय घाटे में निवल कर्जे तथा उधारों के हिस्से में 2.98 प्रतिशत तक सुधार हुआ। तथापि 2013-14 तथा 2014-15 में राजस्व घाटा राजकोषीय घाटे के 71 प्रतिशत के स्तर पर रहा।

तालिका 1.13 वर्ष 2014-15 में पूर्व वर्षों में बजट के साथ रखे गए मध्य अवधि राजकोषीय नीति विवरणों (म.अ.रा.नि.वि.) में मुख्य राजकोषीय मापदंडों-राजस्व तथा राजकोषीय घाटे के लिए तय किए गए लक्ष्य प्रस्तुत करती है। बजट 2013-14 में, वर्ष में राजस्व तथा राजकोषीय घाटे के लक्ष्य में वृद्धि 0.7 तथा 0.3 प्रतिशत तक थी, जो आगे 2014-15 के बजट अनुमानों में स.घ.उ. के क्रमशः 2.9 तथा 4.1 प्रतिशत तक बढ़ी थी। दोनों राजस्व एवं राजकोषीय घाटे बजट अनुमानों 2014-15 में प्रस्तुत किए गए लक्ष्यों के स्तर पर थे।

तालिका 1.13 एफ.आर.बी.एम. नियमावली के अन्तर्गत लक्ष्यों की तुलना में परिणाम (स.घ.उ. के प्रतिशतता के रूप में)

राजकोषीय संकेतक	म.अ.रा.नि.वि. 2012-13 में वर्ष 2014-15 हेतु निर्धारित लक्ष्य	म.अ.रा.नि.वि. 2013-14 में वर्ष 2014-15 हेतु निर्धारित लक्ष्य	म.अ.रा.नि.वि. में बजट अनुमान 2014-15	वास्तविक स्तर
राजस्व घाटा	2.0	2.7	2.9	2.92
राजकोषीय घाटा	3.9	4.2	4.1	4.11

(ग) प्राथमिक घाटा

प्राथमिक घाटे को राजकोषीय घाटे में से ब्याज भुगतानों को घटा कर मापा जाता है। यह वर्तमान वर्ष के राजकोषीय परिचालन का मापक है जिसमें पूर्व में उधार ली गई राशियों के कारण सृजित ब्याज भुगतान की देयता शामिल नहीं है। स.घ.उ. की प्रतिशतता के रूप में प्राथमिक घाटा 2011-12 में 2.61 प्रतिशत से घटकर 2014-15 में 0.72 प्रतिशत हुई थी (तालिका 1.14)।

तालिका 1.14: प्राथमिक घाटा

(₹ करोड़ में)


वर्ष	राजकोषीय घाटा	कुल ब्याज भुगतान*	प्राथमिक घाटा	स.घ.उ. के प्रतिशत में
2011-12	517881	286982	230899	2.61
2012-13	494514	330171	164343	1.65
2013-14	503230	395200	108030	0.95
2014-15	515948	425098	90850	0.72

* ऋण की कटौती या परिहार पर व्यय सम्मिलित है।

1.5 ऋण प्रबंधन

जबकि बजट संतुलन के लिए ऋण पर भरोसे का परिहार नहीं किया जा सकता है वहीं संघ सरकार (बॉक्स 1.3) राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (एफ.आर.बी.एम.) अधिनियम 2003 के माध्यम से उधारों की सीमाएं विवेकपूर्वक निर्धारित करती है। एफ.आर.बी.एम. नियम अनुबद्ध करते हैं कि केंद्र सरकार वित्त वर्ष 2004-05 के लिए स.घ.उ. के 9 प्रतिशत से अधिक देयताओं (वर्तमान विनिमय दर पर बाह्य ऋण सहित) का उत्तरदायित्व नहीं लेगी और प्रत्येक वित्त वर्ष में स.घ.उ. के 9 प्रतिशत की सीमा स.घ.उ. के कम से कम 1 प्रतिशत प्वाइंट तक प्रगामी रूप से कम की जानी थी।

बॉक्स 1.3: भारत सरकार की राजकोषीय देयताएं



तालिका 1.15 दोनों विनिमय की वर्तमान दर (दर जिसपर ऋण मूल रूप में संविदित) तथा ऐतिहासिक दर पर सरकार की कुल देयता को प्रस्तुत करता है।

तालिका 1.15: लोक ऋण

(₹ करोड़ में)

अवधि	संघ सरकार के आन्तरिक ऋण (1)	बाह्य ऋण (ऐतिहासिक दरों पर) (2)	लोक लेखा* (3)	कुल देयताएं (ऐतिहासिक दरों पर) (1+2+3) (4)	बाह्य ऋण (वर्तमान दरों पर) (5)	कुल देयताएं (वर्तमान दरों पर) (1+3+4) (6)
2011-12	3230622 (36.58)	170088 (1.93)	597765 (6.77)	3998475 (45.27)	322897 (3.66)	4151284 (47.00)
2012-13	3764566 (37.69)	177289 (1.77)	610016 (6.11)	4551871 (45.57)	332004 (3.32)	4706586 (47.12)
2013-14	4240767 (37.38)	184581 (1.63)	644060 (5.68)	5069408 (44.68)	374483 (3.30)	5259310 (46.36)
2014-15	4738291 (37.78)	197514 (1.57)	671010 (5.35)	5606815 (44.71)	366384 (2.92)	5775685 (46.05)

टिप्पणी: कोष्ठकों में दर्शाए गए आंकड़े स.घ.उ. की प्रतिशतता को दर्शाते हैं।

*1999-2000 से लोक लेखा देयताएं राज्य सरकार की विशेष प्रतिभूतियों में निवेश के प्रसार तक लघु बचतों के कारण देयताओं को शामिल नहीं करती हैं।

स.घ.उ. के प्रतिशत के रूप में वर्तमान दर पर कुल देयता ने घटती प्रवृत्ति दर्शाई है। यह 2011-12 में 47 प्रतिशत से 2014-15 में 46.05 प्रतिशत तक नीचे आ गई। 31 मार्च 2015 को ₹47,38,291 करोड़ के आन्तरिक ऋण ने ₹49,35,805 करोड़ के कुल लोक ऋण का लगभग 96 प्रतिशत बनाया।

तथापि विनियम की वर्तमान दर पर वाह्य ऋण की गणना कर आन्तरिक ऋण का औसत ₹51,04,675 करोड़ के लोक ऋण का 93 प्रतिशत बनता है। राजकोषीय देयताओं के तीन संघटकों में से आन्तरिक ऋण को छोड़कर दो अन्य संघटकों ने 2014-15 अवधि के दौरान स.घ.उ. की प्रतिशतता के रूप में लगातार घटती प्रवृत्ति दर्ज की। तथापि 2014-15 में ऋण स्टॉक का स्तर स.घ.उ. के 46.05 प्रतिशत था जिसने 13 वें वि.आ. द्वारा संस्तुत 44.8 प्रतिशत के स्तर को पार कर दिया।

2014-15 में जुटाई गई ₹5,16,375 करोड़ तक की राशि की अतिरिक्त देयताएं स.घ.उ. के 4.12 प्रतिशत थीं।

तालिका 1.16: कुल देयताओं तथा स.घ.उ. की वृद्धि

(₹ करोड़ में)

अवधि	कुल देयताएं (वर्तमान दर पर)	कुल देयताओं की वार्षिक वृद्धि (प्रतिशत में)	वर्तमान मूल्यों पर स.घ.उ.	जी.डीपी. में वार्षिक वृद्धि (प्रतिशत में)
2011-12	4151284	17.52	8832012	-
2012-13	4706586	13.38	9988540	13.09
2013-14	5259310	11.74	11345056	13.58
2014-15	5775685	9.82	12541208	10.54

*स.घ.उ. का आधार वर्ष 2011-12 में परिवर्तन के कारण 2011-12 की वृद्धि की संख्या उपलब्ध नहीं है।

2012-13 के दौरान ऋण स्टॉक (13.38 प्रतिशत) की वृद्धि स.घ.उ. वृद्धि (13.09 प्रतिशत) की अपेक्षा अधिक तीव्र हुई थी जो बदतर ऋण स्थिति दर्शाती है (तालिका 1.16)। तथापि बाद के दो वर्षों में ऋण स्थिति में सुधार हुआ। 2013-14 में, ऋण स्टॉक की वृद्धि 13.58 प्रतिशत की स.घ.उ. वृद्धि के प्रति 11.74 प्रतिशत थी। 2014-15 में, इसमें बाद में 10.54 प्रतिशत की स.घ.उ. वृद्धि के प्रति 9.82 प्रतिशत पर ऋण स्टॉक की वृद्धि के साथ सुधार हुआ।

1.5.1 लोक लेखा देयता का कम कथन

31 मार्च 2015 को, लोक लेखे में बकाया देयता ₹6,71,010 करोड़ (तालिका 1.15) दर्शाई गई थी। तथापि, लोक लेखे में बकाया देयता ₹13,41,220 करोड़ (₹11,52,363 करोड़ लघु बचतों, भविष्य निधि आदि के कारण है और ₹1,88,857 करोड़ आरक्षित निधियों तथा निक्षेपों के रूप में है) बनती है। लघु बचतों, भविष्य निधियों आदि के कारण ₹11,52,363 करोड़ की बकाया देयता में से संघ सरकार की देयता राष्ट्रीय लघु बचत निधियां (रा.ल.ब.नि.) के

प्रचालन में संचित घाटे के ₹90,708 करोड़ को समायोजित करने के अतिरिक्त विशेष राज्य सरकारी प्रतिभूतियों में ₹5,43,499 करोड़, भारतीय अवसंरचना वित्त कम्पनी लिमिटेड में ₹1,500 करोड़, निजी निधि प्रबन्धकों के पास डाक बीमा निधि से सम्बन्धित ₹34,504 करोड़ के निवेश के कारण नीचे लाई गई है। उपर्युक्त निवेशों तथा एन.एस.एस.एफ. में संचित घाटे का समायोजन करने के बाद निवल लोक लेखा देयता संघ वित्त लेखे में ₹6,71,010 करोड़ दर्शाई गई हैं जो लोक लेखा देयता का कम कथन है। ₹13,41,220 करोड़ की लोक लेखा देयता के वास्तविक स्तर को हिसाब में लेकर 31 मार्च 2015 को वर्तमान दरों पर संघ सरकार की कुल बकाया देयताएं ₹64,45,895⁵ करोड़ थी जो स.घ.उ. के 51.40 प्रतिशत बनती हैं।

1.5.2 ऋण का कुल पुनर्भुगतान

2014-15 के दौरान सरकार ने आन्तरिक ऋण पर ब्याज के रूप में ₹3,71,420 करोड़ की राशि का भुगतान किया है (तालिका 1.17)। आन्तरिक ऋण पर प्रदत्त ब्याज का 83 प्रतिशत से अधिक विभिन्न दरों के ब्याज वाले बाजार ऋणों (₹3,08,591 करोड़) पर ब्याज था बाह्य ऋण पर प्रदत्त ब्याज ₹3,766 करोड़ थी। बाह्य ऋण पर ब्याज का लगभग 86 प्रतिशत (₹3,241 करोड़) केवल चार स्वत्वों अर्थात् अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ (आई.डी.ए.), जापान सरकार, अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक (आई.बी.आर.डी.) और एशियाई विकास बैंक (ए.डी.बी.) से ऋणों के कारण था।

तालिका 1.17: गैर-ऋण प्राप्ति तथा लोक ऋण पुनर्भुगतान

(₹ करोड़ में)

वर्ष	आंतरिक ऋण का भुगतान		बाह्य ऋण का भुगतान		लोक ऋण का कुल पुनर्भुगतान	कुल गैर-ऋण प्राप्ति
	मूलधन	ब्याज	मूलधन	ब्याज		
1	2	3	4	5	6 (2+3+4+5)	7
2011-12	3482343	242569	13586	3501	3741999	965183
2012-13	3410785	281891	16108	4019	3712803	1108404
2013-14	3493167	344893	18124	3880	3860064	1271711
2014-15	3687099	371420	20601	3766	4082886	1393196


⁵ संख्या निम्नवत निकाली गई लोकलेखा (₹ 13,41,220 करोड़)+ आन्तरिक ऋण (₹47,38,291 करोड़) +वर्तमान दर पर बाह्य ऋण (₹3,66,384 करोड़)

2011-12 के दौरान लोक ऋण का कुल पुनर्भुगतान ₹ 37,41,999 करोड़ (गैर-ऋण प्राप्तियों का कुल 388 प्रतिशत) था। यद्यपि स्थिर पद में यह 2014-15 में ₹40,82,886 करोड़ तक बढ़ गया तथापि गैर ऋण प्राप्तियों की प्रतिशतता के रूप में यह 293 प्रतिशत तक घट गया। इसके अतिरिक्त, 2011-12 के दौरान राजस्व प्राप्तियों के प्रति लोक ऋण के कुल पुनर्भुगतान का अनुपात 411 प्रतिशत था, जो 2014-15 में 307 प्रतिशत तक घट गया है। पिछले वर्ष की तुलना में 2014-15 के दौरान ऋण का कुल पुनर्भुगतान ₹2,22,822 करोड़ तक बढ़ गया था जबकि कुल गैर ऋण प्राप्तियां उसी अवधि में केवल ₹1,21,485 करोड़ तक बढ़ी थीं।

1.5.3 अप्रयुक्त प्रतिबद्ध बाह्य सहायता

2014-15 के दौरान वर्तमान दर पर बाह्य ऋण ₹3,66,384 करोड़ जबकि 31 मार्च 2015 (चार्ट 1.18) को अप्रयुक्त प्रतिबद्ध बाह्य सहायता ₹2,37,012 करोड़ तक सूचित किया गया है। सहायता, लेखा एवं लेखापरीक्षा नियंत्रक के कार्यालय से क्षेत्रवार विवरण इंगित करता है कि शहरी विकास (₹32,782 करोड़), परमाणु ऊर्जा (₹31,312 करोड़), सड़कें (₹29,527 करोड़), विद्युत (₹28,503 करोड़), रेल (₹25,130 करोड़), जल आपूर्ति एवं स्वच्छता (₹14,902 करोड़) जल संसाधन प्रबंधन (₹13,008 करोड़) एवं पर्यावरण तथा वानिकी (₹10,949 करोड़) क्षेत्रों में बड़े अनाहरित शेष थे।

चार्ट 1.18: अप्रयुक्त प्रतिबद्ध बाह्य सहायता



* 2011-14 के आंकड़े वास्तविक हैं और 2014-15 के आंकड़े अनन्तिम हैं। ये सी.ए.एस. द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं।

अनाहरित बाह्य सहायता पर प्रतिबद्धता प्रभार, बाद की तिथियों में आहरण हेतु पुनर्निधारित मूल राशि पर दिये जाते हैं। चूंकि प्रतिबद्धता प्रभारों के भुगतान को दर्शाने के लिए लेखाओं में कोई पृथक शीर्ष नहीं है, इसलिए इसे 'ब्याज दायित्व' शीर्ष के अन्तर्गत दर्शाया जाता है। **तालिका 1.18** बाद की तिथियों में सहायता राशि के आहरण के पुनर्निधारण के लिए चार वर्षों की अवधि के दौरान विभिन्न निकायों/सरकारों को भुगतान किए गए प्रतिबद्धता प्रभारों को दर्शाती है। यह निरन्तर अपर्याप्त योजना की ओर संकेत करते हैं जिसका परिणाम 2014-15 में ₹110.53 करोड़ के प्रतिबद्ध प्रभारों के रूप में परिहार्य व्यय में हुआ।

तालिका 1.18: प्रतिबद्ध प्रभार

(₹ करोड़ में)

वर्ष	ए.वि.बैं.	जापान	जर्मनी	अ.वु.वि.बैं.	कुल
2011-12	42.30	20.82	6.24	13.92	83.28
2012-13	47.18	25.67	7.43	12.24	92.52
2013-14	47.46	49.99	9.78	10.09	117.32
2014-15	49.21	46.11	8.47	6.74	110.53

स्रोत: सहायता लेखा एवं लेखापरीक्षा नियंत्रक

ए.वि.बैं. = एशियाई विकास बैंक

अ.पु.वि.बैं. = अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक

1.5.4 तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसाओं की तुलना में निष्पादन

तेरहवें वित्त आयोग (13 वें वि.आ.) द्वारा उल्लिखित आकलनों की तुलना में सकल घरेलु उत्पाद (स.घ.उ.) की प्रतिशतता के रूप में पंचाट अवधि के गत तीन वर्षों के दौरान संघ सरकार हेतु मुख्य राजकोषीय सकलों को **तालिका 1.19** में तालिकाबद्ध किया गया है:

तालिका 1.19: अनुशंसित राजकोषीय सुदृढीकरण पथ तथा वास्तविक प्रदर्शन

(स.घ.उ. की प्रतिशतता)

मापदंड	तेरहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित				वित्तीय लेखे के अनुसार वास्तविक निष्पादन	
	2012-13	2013-14	2014-15	2012-13	2013-14	2014-15
राजस्व घाटा	1.2	0.0	-0.5	3.65	3.15	2.92
गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियां	0.8	0.9	1.0	0.53	0.48	0.51
पूंजीगत व्यय	3.8	3.9	4.5	1.83	1.76	1.71
राजकोषीय घाटा	4.2	3.0	3.0	4.95	4.44	4.11
ऋण (वर्ष के अंत तक समायोजित देयताएं)	50.5	47.5	44.8	47.12	46.36	46.05

जैसा कि उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है, कोई भी मापदंड 13वें वि.आ. द्वारा 2014-15 के लिए निर्धारित लक्ष्यों के समीप नहीं था। वर्ष 2014-15 हेतु वास्तविक राजस्व घाटा 13वें वि.आ. द्वारा यथा उल्लिखित स.घ.उ. के 0.50 प्रतिशत के दर्ज राजस्व अधिकता के प्रति स.घ.उ. का 2.92 प्रतिशत था। पिछले वर्ष की तुलना में पूंजीगत व्यय में अवनती स्पष्ट थी। वर्तमान वर्ष में पूंजीगत व्यय 13वें वि.आ. द्वारा निर्धारित लक्ष्य के आधे से भी कम था। ऋण जोकि 2013-14 तक अनुशंसित लक्ष्य से कम रहा था, वो 44.8 प्रतिशत के लक्ष्य को पार कर गया तथा स.घ.उ. के 46.05 प्रतिशत पर रहा।

1.6 संघ सरकार की आकस्मिक देयताओं में वृद्धि


संविधान के अनुच्छेद 292 के अनुसार, संघ सरकार ऐसी सीमाओं के भीतर गारंटियाँ दे सकती हैं, यदि कोई है, जो विधि से संसद द्वारा निर्धारित की गई है। संघ सरकार द्वारा (i) उधारों का पुनर्भुगतान तथा उस पर ब्याज का भुगतान (ii) अंश पूंजी का पुनर्भुगतान तथा न्यूनतम लाभांश का भुगतान (iii) सरकारी कम्पनियों/निगमों, रेलवे, संघ शासित क्षेत्रों, राज्य सरकार, स्थानीय निकायों, संयुक्त स्टॉक कम्पनियों, सहकारी संस्थानों आदि के लिए क्रेडिट आधार पर सामग्रियों तथा उपकरणों के आपूर्तियों हेतु करार के प्रति भुगतान आदि गारंटी दी जाती है। यह गारंटियाँ भा.स.नि. पर आकस्मिक देयता स्थापित करती हैं।

गारंटियां अवसंरचना विकास और ऐसी परियोजनाओं में निजी क्षेत्रों की भागीदारी के लिए निवेशों की बढ़ती आवश्यकता के संदर्भ में महत्व धारण करती हैं। संघ सरकार की आकस्मिक देयताएं इसलिए उत्पन्न होती हैं क्योंकि सभी जोखिमों का पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता। जबकि गारंटियां परम्परागत रूप से मापे गए ऋण का भाग नहीं होती, वहां चूक होने की स्थिति में, सरकार के ऋणों में वृद्धि की सम्भावना रहती है।

गारंटियाँ सामान्यतया अन्तर्राष्ट्रीय अभिकरणों से उधार लेने अथवा सा.क्षे.उ. को बाजार से धन उधार लेने योग्य बनाने हेतु दी जाती हैं। एफ.आर.बी.एम. नियमावली 2004 के नियम 3(3) में अनुबंधित है कि केन्द्र सरकार को वित्तीय वर्ष 2004-05 से प्रारम्भ किसी भी वित्तीय वर्ष में स.घ.उ. के 0.5 प्रतिशत से अधिक गारंटियां नहीं देनी चाहिए। इसके अतिरिक्त

एफ.आर.बी.एम. नियम 2004 के नियम 6(1)(ब) के अनुपालन में केन्द्र सरकार के लिए राजकोषीय संचालन में वृहत् पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करते समय गारंटियों के संदर्भ में प्रकटीकरण आवश्यक है। चार्ट 1.19 और तालिका 1.20 में वित्त वर्ष 2011-15 के अंत में गारंटियों की अधिकतम राशि, बकाया गारंटीकृत राशि तथा बकाया बाह्य गारंटियों से संबंधित स्थिति दी गई है। 31 मार्च 2015 तक बकाया गारंटीकृत राशि (₹2,94,700 करोड़) में से 63 प्रतिशत विदेशी कर्जदाता संस्थाओं से ऋणों के प्रति, 26 प्रतिशत आर.बी.आई./बैंकों/ औद्योगिक वित्त निगमों आदि को मूल एवं ब्याज के पुनर्भुगतान, नगद क्रेडिट सुविधा आदि के लिए तथा शेष 11 प्रतिशत शेयरपूंजी के पुनर्भुगतान के लिए, न्यूनतम वार्षिक लाभांश के भुगतान हेतु तथा बंधपत्रों, उधारों एवं डिबेंचर/काउण्टर गारंटी आदि के लिए थी। वित्त मंत्रालय द्वारा 2014-15 में मुख्य मंत्रालयों/विभागों जिनको गारंटी प्रदान की गई उनमें से कृषि एवं सहकारिता, आर्थिक कार्य, नागरिक उड्डयन, विद्युत, दूरसंचार, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा, विदेशी मामले मंत्रालय/विभाग थे।

चार्ट 1.19: संघ सरकार द्वारा दी गई गारंटियां



तालिका 1.20: संघ सरकार द्वारा दी गई गारंटियां

(₹ करोड़ में)

	गारंटी की अधिकतम राशि	बकाया गारंटीकृत राशि (कुल)	बकाया बाह्य गारंटियां	कुल बकाया गारंटियों के प्रतिशत के रूप में बकाया बाह्य गारंटियां
2011-12	203056	192501	114387	59.42
2012-13	242915	233769	136864	58.55
2013-14	270629	249503	150373	60.27
2014-15	305519	294700	185562	63.17

31 मार्च 2015 ₹2,94,700 करोड़ की कुल बकाया गारंटियाँ स.घ.उ. का 2.35 प्रतिशत तथा 2014-15 में संघ सरकार को प्रोद्भूत राजस्व प्राप्तियों का 22.18 प्रतिशत थीं।

एफ.आर.बी.एम. के अनुपालन में, प्राप्त बजट 2015-16 में संलग्न प्रकटीकरण ने दर्शाया कि वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा ₹59,879.29 करोड़ की गारंटियाँ स्वीकृत की गई थी, जो अनुमानित स.घ.उ. के 0.48 प्रतिशत की सीमा के अंतर्गत स.घ.उ. के 0.5 प्रतिशत के ठीक अन्दर थी। जबकि संघ वित्त लेखे के अनुसार वर्ष के दौरान गारंटियों में वृद्धि ₹52,274.90 करोड़ (स.घ.उ. का 0.42 प्रतिशत) थी। तथापि, वर्ष 2014-15 के दौरान गारंटियों का निवल उपचय ₹41,456.13 करोड़ था जो स.घ.उ. का 0.33 प्रतिशत था।

1.7 निष्कर्ष

वर्ष 2014-15 आर्थिक वृद्धि में सुधार द्वारा विशिष्ट था क्योंकि स्थिर मूल्यों (2011-12) पर स.घ.उ. के अनुदान 2013-14 में 6.9 प्रतिशत के प्रति 7.3 प्रतिशत तक बढ़ा। तथापि वर्तमान मूल्यों पर स.घ.उ. 2013-14 में 13.58 प्रतिशत के प्रति 2014-15 में 10.54 प्रतिशत के धीमी गति पर बढ़ी। चालू वर्ष में सुधार गैर ऋण प्राप्ति में 9.55 प्रतिशत की वृद्धि और पूर्व वर्ष की 10.73 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में वास्तविक व्यय में 7.56 प्रतिशत की निम्नतर वृद्धि द्वारा प्राप्त किया गया था। गैर ऋण प्राप्ति भी उच्च होती यदि विनिवेश लक्ष्य प्राप्त करने में 40 प्रतिशत की कमी नहीं हुई होती। 2013-14 में 4.44 प्रतिशत से 2014-15 में 4.11 प्रतिशत तक घटते राजकोषीय घाटे के साथ राजकोषीय स्तर पर भी सुधार देखा गया। इसी प्रकार राजस्व घाटा भी स.घ.उ. के संबंध में 2013-14 में 3.15 प्रतिशत से

2014-15 में 2.92 प्रतिशत तक कम हो गया। स.घ.उ. की प्रतिशतता के रूप में वर्तमान विनिमय दर पर कुल देयता ने भी घटती प्रवृत्ति दर्शाई है। यह 2013-14 में 46.36 प्रतिशत से 2014-15 में 46.05 प्रतिशत तक नीचे आ गया है। परन्तु इसने सुसंगत वर्ष के लिए 13 वें वित्त आयोग द्वारा संस्तुत 44.8 प्रतिशत के स्तर को पार कर दिया। 2014-15 में 9.82 प्रतिशत पर ऋण स्टॉक की वृद्धि भी 10.54 प्रतिशत पर स.घ.उ. की वृद्धि की तुलना में अनुकूल थी।